संख्या-156/2018/2932/41-2018-17 (बजट)/2017

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ

पर्यटन अनुभाग — लखनऊ, दिनांक 10 सितम्बर, 2018

विषय- जनपद वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना हेतु क्रय की गयी भूमि की फेन्सिंग कराये जाने के कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-3264/6-1-1(865)/2017, दिनांक 23 अगस्त, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना हेतु क्रय की गयी भूमि की फेन्सिंग कराये जाने के कार्य हेतु उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यूपीआरएनएसएस) को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए उसके द्वारा उक्त कार्य हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा गठित आगणन की धनराशि पर कार्य कराये जाने पर प्रदान की गयी सहमति के क्रम में रू०98,12,000.00 (रूपये अट्ठानवे लाख बारह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू०50,00,000.00 (रूपये पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्यों की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 3/2017/ 1067/78-2-2017-42 आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासन के अन्य आदेशों/निर्देशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) कार्यदायी संस्था द्वारा उपर्युक्त कार्य हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा गठित आगणन के अनुसार अपना आगणन तैयार कर पर्यटन विभाग में स्वीकृत कार्यों के आगणनों के परीक्षण हेतु गठित समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत कराते हुए अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा तथा प्रस्तर-2 में स्वीकृत प्रशासकीय स्वीकृति समिति द्वारा संस्तुत धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही अनुमन्य होगी एवं आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/ 2018/बी0-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसका पूर्ण उत्तरदायित्व पर्यटन निदेशालय एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी व कार्यदायी संस्था के प्रमुख का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/सेन्टेज चार्ज देय नही होगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे। कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की गुणवत्ता पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जायेगी, जिसका पर्यवेक्षण महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनश्चित कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही किश्तों में अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। कार्यदायी संस्था/विभाग द्वारा नियमानुसार प्रायोजना का विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(7) कार्य की विशिष्टियां, मानक गुणवत्ता की पूर्ण जिम्मेदारी महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय। इसके लिए परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रायोजना का पर्टचार्ट कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। प्रायोजना की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति रोकने की दृष्टि से विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है। कार्य पूर्ण होने के पश्चात निर्मित् स्थल के समुचित रख-रखाव एवं अनुरक्षण की कार्यवाही सम्बन्धित समिति/संस्था द्वारा सुनिश्चित कराये जाने का अनुबन्ध/प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा तथा इसका नियमित अनुश्रवण किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(10) प्रायोजना के आगणन में उल्लिखित वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को जी0एस0टी0 वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार देय होगी तथा प्रायोजना की प्रशासकीय स्वीकृति जी0एस0टी0 के वास्तविक भुगतान की सीमा तक संशोधित समझी जायेगी। इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रमाणिक प्रपत्र सक्षम स्तर से महानिदेशक के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तभी प्रायोजना की द्वितीय किश्त अवमुक्त की जायेगी।

(11) प्रायोजना की स्वीकृति मानक के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था एवं महानिदेशक, पर्यटन पर्यटन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर दी जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं महानिदेशक, पर्यटन का होगा।

3- उक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वितीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-37-जनपद वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी0-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव ।

संख्या-156/2018/2932(1)/41-2018-17 (बजट)/2017 दिनांक सितम्बर, 2018।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, वाराणसी।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यूपीआरएनएसएस), लखनऊ ।
6. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय , लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
8- संयुक्त निदेशक, पर्यटन, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- संयुक्त निदेशक, पर्यटन वाराणसी।
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in